FORM NO. III

फर्दअहकाम

एज अदालत न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट लवाण मुकाम लवाण

उनवान मूलचन्द बनाम सरकार व अन्य

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज मुकदमा नं. 08/2021

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेजारीहुए
14.05.2022	पत्रावली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मूलचन्द बैरवा पुत्र श्री ईशरा जाति बलाई निवासी ग्राम बूटोली तहसील लवाण का निवासी है। ग्राम बूटोली के जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता सं. 08 में मूलचन्द पुत्र ईशरा जाति बलाई सा. देह खातेदार दर्ज है। ग्राम बूटोली की जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता सं. 62 में मूल्या पुत्र ईशरा जाति बलाई सा. देह खातेदार एवं जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता सं. 9 में मुल्या पुत्र ईशरा कौम बलाई सा.देह खातेदार अशुद्ध नाम अंकित है। उक्त अशुद्ध अंकित नाम के स्थान पर नाम शुद्धि करवाकर, मूलचन्द पुत्र ईशरा जाति बलाई अंकित करवाने हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदंन किया गया है। पत्रावली में वर्णित आराजी भूमि के संबंध में तहसीलदार लवाण से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मूलचन्द पुत्र ईशरा जाति बलाई निवासी ग्राम बूटोली तहसील लवाण का वर्तमान जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 में मूल्या पुत्र ईशरा जाति बलाई अंकित है। जबकि प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मूलचन्द पुत्र ईशरा करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये दस्तावेज अनुसार आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम मूलचन्द पुत्र ईशरा जाति बलाई अंकित है। ग्रामीण परिवेश में भी प्रार्थी को मूल्या व मूलचन्द दोनो ही नाम से सम्बोधित किया जाता रहा है। प्रार्थी का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मूल्या पुत्र ईशरा जाति बलाई के स्थान पर मूलचन्द पुत्र ईशरा किया जाना है। क्रमश................................ Signature Not Verified Digitally signed by Mithlesh Meena Date: 2023.04.13 12:00:30 IST Reason: SelfAttested 14.5.22 Smeh 14.5.22 न्यायिक अधिकारी लोक अदालत, बैंच	नि.रावत

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो का अवलोकन किया।ग्राम बूटोली की जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता सं. 08 में मूलचन्द पुत्र ईशरा जाति बलाई सा. देह खातेदार एवं जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता सं. 9 में मूल्या पुत्र ईशरा कौम बलाई सा.देह खातेदार अशुद्ध नाम अंकित है को तहसीलदार लवाण की रिपोर्ट एवं प्राप्त दस्तावेजात के अनुसार मूल्या पुत्र ईशरा के स्थान पर मूलचन्द पुत्र ईशरा जाति बलाई सा. देह खातेदार किया जाना न्यायोचित है।

अतः शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र प.क–4(1)राज–6/2002/19 दिनांक 18.06.2007 के अनुसार, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में नाम संबंधी त्रुटियों की दुरूस्ती किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाता है। ग्राम बूटोली की जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता सं. 62 में मूल्या पुत्र ईशरा जाति बलाई सा. देह खातेदार एवं जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता सं. 9 में मूल्या पुत्र ईशरा कौम बलाई सा.देह खातेदार अशुद्ध नाम के स्थान पर मूलचन्द पुत्र ईशरा जाति बलाई सा. देह खातेदार किया जावे। इस कदर की तहरीर तहसीलदार लवाण को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच में राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.13 12:09:30 IST
Reason: SelfAttested

14.5.22

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत, बैंच